

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 57 /2019


दिनांक 17.06.2019

श्रीमती सीमा कुमारी (RJ0869), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट कैसेज) क्रम-05, उदयपुर को दिनांक 01.07.2019 से 09.08.2019 तक 40 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 30.06.2019 एवं 10.08.2019 से 12.08.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री सीमा सान्दू (RJ1107), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट कैसेज) क्रम-03, उदयपुर को श्रीमती सीमा कुमारी के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट कैसेज) क्रम-05, उदयपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
- (2) सुश्री सीमा सान्दू (RJ1107), जिनको विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट कैसेज) क्रम-05, उदयपुर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/38/2015/ 5659

दिनांक 17.06.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 7242 दिनांक 03.06.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती सीमा कुमारी (RJ0869), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट कैसेज) क्रम-05, उदयपुर ।
4. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट कैसेज) क्रम-05, उदयपुर ।
5. सुश्री सीमा सान्दू (RJ1107), विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट कैसेज) क्रम-03, उदयपुर ।
6. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट कैसेज) क्रम-03, उदयपुर ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

  
17.6.2019  
सहायक रजिस्ट्रार